

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

पालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला

भाशूराम वर्गे बनाम नरेन्द्र वर्गे

मुकदमा नं. दावा मुकदमा नं. 32 सन्

2019

हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
	<p>31 <sup>12</sup>/<sub>18</sub> वकील वादीगण श्री सरदार सिंह प्रथम ने हाजिर अदालत होकर वादपत्र पेशा किया। दावा फर्द रजिस्टर किया जाँव। प्रतिवादीगण की तलबी जरिद सम्पन्न की जाकर पत्रावली दिनांक 11-01-2019 के पेशा हो।</p> <p>11-1-19                      पत्रावली के द्वारा मुकदमा फर्दिके उपर मुकदमा रजिस्टर किया जाँव।                      पत्रावली के द्वारा मुकदमा रजिस्टर किया जाँव।                      कार्यवाही के दिनांक 15-3-19                      जे पेश हो।</p> <p>15/3/19                      पत्रावली के द्वारा मुकदमा फर्दिके उपर मुकदमा रजिस्टर किया जाँव।                      पत्रावली के द्वारा मुकदमा रजिस्टर किया जाँव।                      कार्यवाही के दिनांक 5-4-19                      जे पेश हो।</p> <p>19                      मितल तलबी प्रार्थना पत्र स्वीकार करने पर पत्रावली पेशा हो। वकील वादीगण उपस्थित। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. की ओर से राजीनामा पेशा हुआ। वादीगण की पहचान श्री सरदार सिंह कुडी (प्रथम) एड. के की तथा प्रतिवादी सं. की पहचान श्री बालकृष्ण कुमार वर्मा एड. के की उपस्थित पक्षकारान की राजीनामा पद उर हुआ। जिसे सुन व समझ कर उपस्थित पक्षकारान द्वारा सही होना स्वीकार किया गया। अतः हा-व खादिसा पक्षकारान राजीनामा तरफिद कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फर्द निपट तरीफ पेशा दिनांक 05-04-2019 के पेशा हो।</p>	<p>आदेश                      आदेश                      आदेश                      आदेश                      आदेश</p>

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम अ हुक २
०५/०५/१९	<p>पत्रावली पेश हुई। नकुलाय फरिफेन  <del>एम./अनुसूचित पीतालीय अधिकारी मंत्री</del>  <del>/अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अधिम</del>  कार्यवाही हेतु दिनांक... १०/०५/१९  को पेश हो।</p>	
१०/०५/१९	<p>पत्रावली पेश हुई। नकुलाय फरिफेन  <del>एम./अनुसूचित पीतालीय अधिकारी मंत्री</del>  <del>/अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अधिम</del>  कार्यवाही हेतु दिनांक... २५/०५/१९  को पेश हो।</p>	
२५/०५/१९	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रविवादी सं० २ व ३ की तामील  सम्पत्त रूप से होकर लौटी है। बसपूद सम्पत्त  तामील उक्त प्रविवादीगण की और से छोड़ें हाजिर  प्रदालत नही आया। अतः उक्त प्रविवादी सं० २  व ३ के विकल्प खपपत्रीय कार्यवाही अमल में लाई  जाती है। प्रकरण में उत्त वहील वादीगण हुनी  गई। दौराने वहील वादीगण ने अपने  वादपत्र में अंतिम तर्कों को दोहराते हुए मुलाखि  राजीनामा दावा सिद्धी करमाया जाने का निवेदन  किया।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड  का अवलोकन किया गया एवं वहील वादीगण  पर सगौर मनन किया गया। अंति  विवादित पक्षकारान के मध्य राजीनामा होकर  फाजलम हाजा द्वारा तस्दीक हो चुका है। अतः  वाद, वादीगण स्वीकार किया जाकर वहील वादीगण  डिक्ली किया जात है। राजीनामा डिक्ली का भाग  रहेगा। मुलाखि राजीनामा राजस्व रेकार्ड  में अमल दरमाद हो। पत्रावली उत्सल हुमत  होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तर्कों  वाखिल दफतर हो। निबिसि सुले न्यायालय  में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">२५/५/१९  उपखण्ड अधिकारी  खण्डेला (सीकर)</p>	

